

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2016/ज्येष्ठ 4, 1938

No. 223]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2016/ JYAISTHA 4, 1938

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 10 मई, 2016

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016

सं. सेबी/एल.ए.डी. - एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/002.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में,-
 - (I) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,-
 - (1) खंड (यड), खंड (यच) के रूप में पुनः संख्यांकित हो जाएगा;
 - (2) खंड (यघ) के पश्चात् और खंड (यच) से पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(यड) "इरादतन चूककर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइडलाइन्स) के अनुसार, किसी बैंक या वित्तीय संस्था या उनके कनसॉर्टियम द्वारा, इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया हो और जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसके निदेशक (डायरेक्टर), संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या भागीदार (पार्टनर) को इस रूप में वर्गीकृत किया गया हो;"

(II) विनियम 6 के पश्चात् और विनियम 7 से पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"6क. इन विनियमों में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति (जो इरादतन चूककर्ता हो) शेयरों को अर्जित करने के लिए खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) की सार्वजनिक घोषणा नहीं करेगा या ऐसा कोई संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) नहीं करेगा, जिससे इन विनियमों के अधीन शेयरों को अर्जित करने के लिए खुले प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा करने की बाध्यता आकृष्ट हो जाए:

परंतु यह कि यह विनियम इरादतन चूककर्ता को इन विनियमों के विनियम 20 के अनुसार प्रतियोगी प्रस्ताव (कम्पीटिंग ऑफर) लाने से तब प्रतिषिद्ध नहीं करेगा, जब कोई अन्य व्यक्ति लक्षित कंपनी (टारगेट कंपनी) के शेयरों को अर्जित करने के लिए खुला प्रस्ताव ला रहा हो।"

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./107]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/24/30181, 23 सितम्बर 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. मूल विनियम तत्पश्चात् :
 - (क) 26 मार्च, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/36/7368, द्वारा
 - (ख) 8 अक्तूबर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा
 - (ग) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

- (घ) 24 मार्च, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/28/542, द्वारा
- (ङ) 5 मई, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी.एन.आर.ओ./ ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/004, द्वारा
- (च) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/009, द्वारा
- (छ) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/026, द्वारा
- (ज) 17 फरवरी, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/035, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th May, 2016

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2016

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/002.— In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2016.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, -
 - (I) In regulation 2, in sub-regulation (1),-
 - (1) clause (ze) shall be re-numbered as clause (zf);
 - (2) after clause (zd) and before clause (zf) the following shall be inserted, namely,-

"(ze) "wilful defaulter" means any person who is categorized as a wilful defaulter by any bank or financial institution or consortium thereof, in accordance with the guidelines on wilful defaulters issued by the Reserve Bank of India and includes any person whose director, promoter or partner is categorized as such;"

(II) After regulation 6 and before regulation 7, the following shall be inserted, namely,-

“6A. Notwithstanding anything contained in these regulations, no person who is a wilful defaulter shall make a public announcement of an open offer for acquiring shares or enter into any transaction that would attract the obligation to make a public announcement of an open offer for acquiring shares under these regulations:

Provided that this regulation shall not prohibit the wilful defaulter from making a competing offer in accordance with regulation 20 of these regulations upon any other person making an open offer for acquiring shares of the target company. ”

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT.-III /4/Exty./107]

Footnote:

1. The SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India on 23rd September, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011- 12/24/30181.

2. The Principal Regulations were subsequently amended on:

(a) March 26, 2013 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/36/7368.

(b) October 8, 2013 by the SEBI (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.

(c) May 23, 2014 by the SEBI (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.

(d) March 24, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/28/542.

(e) May 5, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/OIAE/GN/2015-16/004.

(f) August 14, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/009.

(g) December 22, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/026.

(h) February 17, 2016 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/035.